रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैत्र 10, 1910
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAITRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1988

अधिसूचनाएं

सं. 116-88-सीमाशुल्क

सा.का.नि 406(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/87-सीमाशुल्क [सा.का.नि (101) (अ)] तारीख 19 फरवरी, 1987 को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन जारी की गई अग्रिम अनुज्ञप्ति पर भारत में आयात किए गए माल का जिनका उत्पादों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् परिणामी उत्पाद कहा गया है) विनिर्माण के प्रयोजन के लिए आयात किया जाना अपेक्षित है अथवा परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की प्रतिस्थिति के लिए या दोनों के लिए अथवा एक या अधिक निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए परिणामी उत्पादों के साथ-साथ आशाजनक (स्पेयर्स) अतिरिक्त उत्पादों के रूप में निर्यात के लिए सामग्री पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क में और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है अर्थात्:—

(क) आयातित सामग्री जिसका मूल्य, मात्रा, विवरण, क्वालिटी तथा तकनीकी विशेषताएं, जो कि शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रमाण-पत्र कहा गया है) के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, के संबंध में, इस अधिसूचना की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में समिति द्वारा मंजूर किए गए उक्त प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आती है;

(ख) निकासी के समय, ऐसी आयातित सामग्री का आयातकर्ता—

(i) सीमाशुल्क कलेक्टर के समक्ष ऐसी छूट का दावा लिखित रूप में करता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुमोदित प्राधिकारी के समक्ष इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए बंधपत्र निष्पादित करता है;

(ii) सहायक सीमाशुल्क कलेक्टर के समक्ष ऐसी घोषणा करता है कि वह मांग किए जाने पर उस आयातित सामग्री पर, जिसके संबंध में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि छूट न होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए वचनबद्ध है;

(ग) उक्त प्रमाण-पत्र के भाग "ङ" में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य, मात्रा, विवरण, क्वालिटी और तकनीकी विशेषताओं के संबंध में परिणामी उत्पादों के समतुल्य माल का, उक्त प्रमाण-पत्र की मंजूरी के पश्चात्, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उतनी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या समिति द्वारा मंजूर की जाए, निर्यात कर दिया जाएगा;

(घ) छूट प्राप्त सामग्रियों का उपयोग उक्त प्रमाण-पत्र के भाग क में विनिर्दिष्ट परिणामी उत्पादों के लिए अथवा आपातक अतिरिक्त उत्पादों के निर्यात के लिए किया जाएगा और उनके किसी भाग का विक्रय नहीं किया जाएगा, उधार नहीं दिया जाएगा, अंतरित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य रीति से व्ययन नहीं किया जाएगा।

परन्तु जहां ऐसी छूट प्राप्त सामग्री को निर्यात किए गए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण की सामग्री की प्रतिपूर्ति के लिए आयात किया जाता है, वहां अग्रिम अनुज्ञप्ति का धारक विनिर्माता निर्यातकर्ता के रूप में प्रतिपूर्ति सामग्री का उपयोग, अतिरिक्त उत्पादन के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा।

(ङ) यदि माल नाइलोन फाइबर, नाइलोन सूत, नाइलोन फैब्रिक, पालिएस्टर फाइबर पालिस्टर सूत, पालिएस्टर फैब्रिक, स्टेनलेस स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप, चुम्बकीय टेप, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु से ढकी हुई धातु और उनकी वस्तुओं के हैं तो आयात केवल कांडला, मुम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता के किन्हीं समुद्री पत्तनों के माध्यम से या मुम्बई, कलकत्ता दिल्ली, मद्रास और बंगलौर के वायुमार्गों में से किसी एक माध्यम से या दिल्ली या बंगलौर पर आंतरिक कन्टेनर डिपो में से किसी के माध्यम से किया जाएगा और परिणामी उत्पादों का निर्यात, जिनमें ऐसे माल का उपयोग किया जाता है, केवल उक्त समुद्री पत्तनों या वायुमार्गों या आंतरिक कंटेनर डिपो के माध्यम से होगा :

परन्तु यह और भी कि अग्रिम अनुज्ञप्ति का धारक, जो विनिर्माता या निर्यातकर्ता न हो, प्रतिपूर्ति सामग्री को ऐसे संबद्ध समर्थक विनिर्माता को जिसका नाम उक्त प्रमाणपत्र में है, या वास्तविक उपयोगकर्ता को आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के अध्याय 19 के पैरा 244 के उपबंधों के अनुसार आगे उत्पादन के लिए अंतरित कर सकेगा;

(च) आपातक अतिरिक्त उत्पादों का आयात अग्रिम अनुज्ञप्ति के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(छ) प्रतिपूर्ति के लिए आयात की गई सामग्री अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रिम अनुज्ञप्ति के लिए आयातकर्ता का आवेदन प्राप्त होने की तारीख और अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन आयातकर्ता द्वारा सामग्री के प्रथम आयात की तारीख के बीच किए गए निर्यात के कारण है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में—

(i) "सरणियन अभिकरण" का वही अर्थ है जो आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 में है;

(ii) "समिति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कार्यालय की तत्समय प्रवृत्त कार्यालय ज्ञापन सं. 3/54/75-ई.पी.सी., तारीख 3 दिसंबर, 1975 और परिपत्र सं. 9/30-85-ई.पी.सी. तारीख 28 जून, 1985 के अधीन, गठित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर पुनर्गठित, अन्तर्विभागीय समिति अभिप्रेत है;

(iii) "छूट प्राप्त सामग्री" से अभिप्रेत है आयातित सामग्री और जो उक्त प्रमाण-पत्र के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है और इस अधिसूचना के अधीन छूट के लिए पात्र है,

(iv) "आयात और निर्यात नीति" अप्रैल, 1988—मार्च 1991 से समय-समय पर यथासंशोधित वह आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. आई.टी.सी. (प.न.)/88-91 तारीख 30 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(v) "अग्रिम अनुज्ञप्ति के आधार पर भारत में आयातित" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

(क) तत्समय प्रवृत्त आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन जारी की गई खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किया गया ऐसा माल जिसके लिए सीमाशुल्क नियंत्रण क्षेत्र से निकासी के समय आयातकर्ता द्वारा विधिमान्य अग्रिम अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की जाती है,

(ख) खुला समुद्र विक्रय आधार पर सारणीयन अभिकरण के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया माल ;

(ग) सरणियन अभिकरण या किसी अन्य अभिकरण से जिसे मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने अभिहित किया हो और अग्रिम अनुज्ञप्ति धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात के लिए अनुज्ञात किया हो, अभिप्राप्त माल, जहां माल सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों के अनुसार, उक्त अभिकरण द्वारा आयात किया जाता है और भाण्डागार में रखा जाता है।

(6) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन बनाए गए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(7) "आपातक अतिरिक्त उत्पाद" से परिणामी उत्पादों के ऐसे भाग जिनका आवश्यक रूप से अतिरिक्त उत्पादन के रूप में सुसंगत निर्यात आदेश या प्रतिस्थापन संविदा के अनुसार प्रदाय किया जाता है, यदि वे दोषयुक्त या पुराने हो जाते हैं।

(8) "सामग्री" से ऐसा माल अभिप्रेत है जो कच्ची सामग्री, संघटक मध्यवर्ती उत्पाद या उपभोज्य है और जिनका परिणामी उत्पादों और उनके पैक करने या आपातक अतिरिक्त उत्पादों के साथ निर्यात किया जाता है।

(9) "परिणामी उत्पाद" से उक्त प्रमाण-पत्र के भाग "क" में विनिर्दिष्ट माल अभिप्रेत है ;

अनुसूची

शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र

(इसमें —————————) ————————— (पृष्ठ हैं)

क्रम संख्या ——————————————— जारी करने की तारीख ———————————————

———————————————————————————————————————

(आयातकर्ता का नाम और पूरा पता) के पक्ष में अनुदत्त

उपर्युक्त आयातकर्ता को, ——————————द्वारा जारी की गई अग्रिम अनुज्ञप्ति संख्यांक —————————— तारीख ——————————पर आयातित और इस प्रमाण-पत्र के भाग ग के अधीन, विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची में सम्मिलित सामग्री, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 116/88 सीमा-शुल्क तारीख 30 मार्च, 1988 (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन रहते हुए शुल्क के छूट की पात्र होगी।

आयातकर्ता उक्त अधिसूचना की शर्त (ग) के अनुसार, ——————————के भीतर निर्यात करेगा।

माल की सीमा-शुल्क से निकासी के पूर्व, उक्त अधिसूचना की शर्त (ख) के अनुसार ——————————के समक्ष —————— ——————रुपयों का एक बंधपत्र विधि वचन बंध निष्पादित किया जाना चाहिए।

निर्यात पूरा हो जाने पर, यह प्रमाण-पत्र उसके भाग ग और ड को अपेक्षानुसार पृष्ठांकन सहित बंधपत्र विधि वचन बंध के उन्मोचन के लिए —————— ——————प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा जो इस बंधपत्र के उन्मोचन के पश्चात् इस प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को इसे वापिस लौटा देगा।

हस्ताक्षर

कार्यालय मुद्रा (जारी करने वाला प्राधिकारी)

तारीख

उक्त अधिसूचना की शर्त (ख) के अनुसार ——————————रु का/के बंधपत्र विधि वचन बंध जो —————————— को निष्पादन किया गया था/किए गए थे और इस कार्यालय में ——————————के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया था/किए गए थे।

हस्ताक्षर

कार्यालय मुद्रा पता

तारीख

भाग क

अग्रिम अनुज्ञप्ति धारक एवं समर्थित विनिर्माता के ——————————उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पाद विनिर्मित किए जाते हैं।

भाग ख

अग्रिम अनुज्ञप्ति धारक एवं समर्थित विनिर्माता के ——————————उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पाद की आनुषंगिक वस्तुएं विनिर्मित की जाती हैं।

भाग ग

सामग्री की सूची

क्र. स	विवरण	क्वालिटी	तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य	भाग ड में परिणामी उत्पाद की क्रम संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7

भाग घ

(सामग्री के) आयातों की विशिष्टियां

क्र स	भाग ग में सामग्री की क्र स	अग्रिम पत्र की स और तारीख तथा आयात के सीमा शुल्क हाउस का नाम	विवरण	मात्रा और शुद्ध भार	मूल्य
1	2	3	4	5	6

मूल्य छूट न दिए जाने पर उद्ग्रहणीय शुल्क : अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची में शीर्ष स और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची की मद संख्या	शुल्क की दर (i) आधारी (ii) अतिरिक्त (iii) सहायक	शुल्क की रकम	सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम मुद्रा सहित
7	8	9	10

भाग ङ

परिणामी उत्पाद

क. सं.	वर्णन	क्वालिटी	तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	मूल्य	भाग ग में सामग्री की क्रम संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7

भाग च

निर्यात की विशिष्टियां

क. सं.	भाग ङ. में परिणामी उत्पाद की क. सं.	पोतलदान के सीमा-शुल्क सदन का नाम	पोत पत्र संख्यांक और तारीख	जलयान का नाम और उसके बाहर की प्रवेश की तारीख	मात्रा	निर्यात उत्पाद का शुद्ध भार	पोत पत्र के अनुसार वर्णन	पोत पर्यन्त के शुल्क एफ. ओ. बी. मूल्य	सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा सहित तथा टिप्पणियां यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भाग छ

जिन सामग्रियों के संबंध में उक्त अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है उन पर संदत्त शुल्क

क. सं.	भाग ग में क. सं. जिसके अंतर्गत सामग्री का आयात दर्ज किया गया है	जिस सामग्री पर शुल्क का संदाय किया गया है उसका वर्णन मात्रा और मूल्य	उद्ग्रहणीय शुल्क की दर— (i) आधारी (ii) अतिरिक्त (iii) सहायक	(i) शुल्क की रकम (ii) ब्याज	शुल्क के संदाय, संबंधी दस्तावेजों की विशिष्टियां	सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा सहित
1	2	3	4	5	6	7

भाग ज

प्रमाण-पत्र

मैं ———————— (नाम) जिसे ———————— (आयातकर्तागण), जिनका कारखाना परिसर ———————— में स्थित है, जिनके पक्ष में यह शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र संख्यांक ———————— तारीख ———————— अनुदत्त किया गया है की ओर से मुख्तार नामा प्राप्त है, प्रमाणित करता हूं कि —

(क) भाग च के क्रम संख्या ———————— में विनिर्दिष्ट निर्यात किया गया माल भाग क/भाग ख में उल्लिखित कारखाना परिसर में विनिर्मित हुआ है।

(ख) भाग ग के क्र. सं. ———————— पर विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त सामग्री भाग च के क्र. स. ———————— पर विनिर्दिष्ट निर्यात किए गए माल के विनिर्माण के प्रयोग में लाई गई है।

[देखिए उक्त अधिसूचना की शर्त (च)]

(ग) भाग च के क्रम सं. ———————— में विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त सामग्री को भाग च के क्रम संख्या ———————— में विनिर्दिष्ट प्रज्ञापक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में निर्यात किया गया है।

(च) भाग घ के क्रम संख्या ——————————पर विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त सामग्री से समतुल्य सामग्री भाग घ के —————— क. सं. ——————————पर विनिर्दिष्ट निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाई गई है।

(छ) भाग घ के क. सं. ——————————पर विनिर्दिष्ट आयातित सामग्री के संबंध में भाग छ के क्रम संख्या ————पर विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का संदाय कर दिया गया है।

कार्यालय मुद्रा — हस्ताक्षर

तारीख — पदनाम

साक्षी — पता

भाग झ

विधि वचन बंध बन्धन-पत्र का उन्मोचन

हम निवेदन करते है कि बंधपत्र सं. विधि वचन बंध ——————————उन्मोचित कर दिया जाए।

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

जहां तक सीमा-शुल्क विभाग का संबंध है बंधपत्र-/विधि वचन बंध के उन्मोचित किए जाने मे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

रजिस्ट्रीकरण के पत्तन पर स्थित सीमा-शुल्क
अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

क्रम संख्यांक ——————————तारीख ——————————पर रजिस्ट्रीकृत ——————रु. —————— (शब्दों में) के बंधपत्र सं. विधि वचन बंध ——————————को, मेरा यह समाधान हो जाने के पश्चात कि उक्त बंधपत्र विधि वचन बंध की सभी शर्तें पूर्ण कर दी गई हैं, तारीख ——————————को उन्मोचित कर दिया गया है।

कार्यालय मुद्रा — हस्ताक्षर

तारीख — पदनाम

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त होगी।

[605/17/88—डी. बी. के.]

एस. के. राय, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th March, 1988

NO. 116|88-CUSTOMS

G.S.R. 406 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 44|87-Customs [G.S.R. 101 (E)] dated the 19th February, 1987, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods imported into India against an Advance Licence issued under the Imports (Control) Order, 1955, being materials required to be imported for the purpose of manufacture of products (hereinafter referred to as the resultant products) or replenishment of materials used in the manufacture of the resultant products, or both, or for export as mandatory spares along with the resultant products, for execution of one or more export orders, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(a) the materials imported are covered by a Duty Exemption Entitlement Certificate (hereinafter referred to as the said Certificate), issued by the licensing authority in the form specified in the Schedule to this notification, in respect of the value, quantity, description, quality and technical characteristics, as specified in Part 'C' of the said Certificate;

(b) the importer at the time of clearance of the imported materials makes—

(i) a claim in writing to the Collector of Customs for such exemption and executes a bond or legal undertaking before such authority as may be approved by the Central Government for complying with the conditions specified in this notification;

(ii) a declaration before the Assistant Collector of Customs binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable but for the exemption, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with;

(c) the goods corresponding to the resultant products and the mandatory spares, in respect of value, quantity, description, quality and technical characteristics, as specified in Part 'E' of the said Certificate are exported within the time specified in the said Certificate or such extended period as may be granted by the licensing authority or the Committee;

(d) the exempt materials shall be utilised for the manufacture of resultant products specified in Part 'E' of the said Certificate or for export as mandatory spares, and no portion thereof shall be sold, loaned, transferred or disposed of in any other manner :

Provided that where such exempt materials are imported for replenishment of materials used in the manufacture of resultant products exported, holder of an Advance Licence, being a manufacturer exporter, may utilise the replinshed materials for further production subject to actual user conditions :

Provided further that the holder of an Advance Licence, not being a manufacturer exporter, may transfer the replenished materials to the supporting manufacturer concerned whose name appears in the said Certificate or to an actual user, for further production in accordance with the provisions of paragraph 244 in Chapter XIX of the Import & Export Policy, April 1988–March, 1991 ;

(e) in the case of goods being nylon fibre, nylon yarn, nylon fabrics, polyester fibre, polyester yarn, polyester fabrics, stainless steel sheets, stainless steel strips, magnetic tapes, precious metals, metals clad with precious metals and articles thereof, the import shall be only through any of the sea ports at Kandla, Bombay, Cochin, Madras, Visakhapatnam and Calcutta or through any of the airports at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras and Bangalore or through either of the internal container depots at Delhi or Bangalore, and the export of resultant products in which such goods are used shall be only through any of the said sea ports or airports or internal container depots;

(f) the import of mandatory spares shall not exceeds 5% of the CIF value of the Advance Licence;

(g) Materials imported for replenishment are on account of exports made between the date of receipt of the importer's application for Advance Licence by the Licensing authority and the date of first import of materials by the importer under the Advance Licence.

Explanation :—In this notification,—

(i) "Canalising agency" shall have the same meaning as in the Import & Export Policy April 1988–March 1991 ;

(ii) "Committee" means the Inter-Departmental Committee as constituted by the Central Government under the Office Memorandum of the Government of India in the Ministry of Commerce, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, No. 3|54|75-EPC dated the 3rd December, 1975 and the Circular No.9|30-85-EPC dated the 28th June, 1985, for the time being in force, or as re-constituted by the Central Government from time to time;

(iii) "exempt materials" means the materials imported and specified in Part 'C' of the said Certificate and eligible for exemption from duty under this notification;

(iv) "Import & Export Policy April, 1988-March, 1991" means the Import & Export Policy April, 1988–March, 1991 published vide Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) |88-91 dated the 30th March, 1988, as amended from time to time.

(v) "imported into India against an Advance Licence" includes—

(a) goods imported under any Open General Licence issued under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), for the time being in force, for which at the time of clearance out of Custom's Control, a valid Advance Licence is produced by the importer;

(b) goods obtained from a canalising agency on high seas sale basis ;

(c) goods obtained from a canalising agency or any other agency designated by the Chief Controller of Imports and Exports and allowed importation in bulk for servicing the requirements of Advance Licence holders, where the goods are imported by the said agency and warehoused in accordance with the provisions of Chapter IX of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) ;

(vi) "Licensing authority" means an authority competent to grant to licence under the Imports (Control) Order, 1955 made under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947);

(vii) "mandatory spares" means parts of the resultant product which are to be compulsorily supplied as spares as per the relevant export order or contract for substitution if it becomes faulty or worn out;

(viii) "materials" means goods which are raw materials, components, intermediate products or consumables used in the manufacture of resultant products and their packings, or mandatory spares to be exports alongwith the resultant products,

(ix) "resultant products" means the goods specified in part 'E' of the said Certificate.

SCHEDULE

Duty exemption entitlement Certificate

(This consists of————————pages) Serial No.

Date of issue————————————

This is granted in favour of

————————————————

————————————————

———————————————— (Importer's name and full address)

Materials imported against Advance Licence No.————————dated the————————issued by ————— to the above importer and covered by the list of materials specified under Part C of this Certificate would be eligible for exemption from duty subject to the conditions specified in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 116/88-Customs dated the 30th March, 1988 (hereafter in this Schedule referred to as the said notification)

The Importer shall make the exports in terms of condition (c) of the said notification within——————.

A bond/legal undertaking in terms of condition (b) of the said notification for Rs.————————shall be executed with ——————before the clearance of the goods from Customs

After completion of exports, this Certificate shall be produced with endorsements as required by Parts H and I therein for discharge of the Bond/Legal undertaking before ————————who after discharging the bond/legal undertaking shall return this Certificate to the issuing authority.

OFFICE SEAL

Signature
(Issuing Authority)
Date :

Bond(s)/legal undertaking(s) in terms of condition(b) of the said notification executed on ——————for Rs.—————— (Rupees ——————————and registered under——————————with this office.

OFFICE SEAL

Signature
Address
Date :

PART A

Names and addresses of factories of Advance Licence holder and supporting manufacturer where the resultant products for exports are manufactured.

PART B

Names and addresses of the factories of Advance Licence holder and supporting manufacturer where the ancillaries to the resultant products for exports are manufactured.

PART C

LIST OF MATERIALS

Sl. No.	Description	Quality	Technical Characteristics	Quantity	C.I.F. Value	S.No. of the resultant products in part E.
1	2	3	4	5	6	7

PART D

Particulars of Imports (of Materials)

Sl. No.	S. No. of the materials in part C.	Bill of entry No. and date and name of the Customs House of import.	Description	Quantity and net weight	Value
1	2	3	4	5	6

Duty leviable but for exemption

Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Heading No. in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 for levy of additional duty.	Rate of duty (i) Basic. (ii) Additional (iii) Auxiliary	Amount of duty	Signature of the Customs officer with designation and seal.
7	8	9	10

PART E

Resultants Products

Sl. No.	Description	Quality	Technical Characteristics	Quantity	Value	S.No. of the Materials in Part C
1	2	3	4	5	6	7

PART F

Particulars of Exports

Sl. No.	Sl. No. of the resultant products in Part E	Name of the Customs House of Shipment	Shipping Bill No. and date	Name of the vessel and date of out ward entry of the vessel.
1	2	3	4	5

Quantity	Net weight of the export product	Description as per the shipping Bill	F.O.B. value	Signature of the Customs Officer with designation and seal and remarks if any
6	7	8	9	10

PART G

Duties paid on materials in respect of which the conditions of the said notification are not complied with

Sl. No.	S.No. in part D under which the import of the materials has been entered	Description quantity and value of materials on which duty is paid.	Rate of duty leviable (i) Basic. (ii) Additional (iii) Auxilliary	Amount of (i) duty (ii) Interest	Particular of duty paying documents	Sign. of the customs officers with designation and seal
1	2	3	4	5	6	7

PART H

Certificate

I, ——————(Name) Power or Attorney Holder of——————(Importers) havig their factory premises at——————in whose favour the duty Exemption Entitlement Certificate Serial No.——————dated——————has been granted, certify that—

(a) the goods exported as specfied in Serial No. (s) ——————of Part F have been manufactured in the factory premises mentioned in Part A/Part B;

(b) the exempt materials as specified in Serial No. (s) ——————of Part D have been used in the manufacture of the goods exported as specified in Serial No. (s)——————of part F(——————vide condition——————(d) of the said Notification;) cation ;

(c) the exempt materials as specified in S.No. ——————of part D have been exported as mandatory spares as specified in S.No ——————of part F.

(d) materials corresponding to the exempt materials as specified in Serial No. (s)——————of Part D have been used in the manufacture of the goods exported as specified in serial No. (s)——————of Part F.

(e) in respect of imported materials as specified in Serial No.(s) ——————of part D, duties have been paid as specified in Serial No. (s)——————of Part C.

OFFICE STAMP

Signature
Designation
Address :

Date :

Witnesses

PART I

Discharge of Bond

We request that Bond No. /Legal undertaking——————may be discharged.

Signature of the Importer.

There is no objection to the cancellation of the bond/legal undertaking so far as the Customs Department is concerned.

Signature of the Customs Officer at the Port of Registration
Designation and Seal.

Bond No/legal undertaking——————registered under Serial No——————dated——————for Rs.——————(Rupees——————) discharged on——————after having satisfied myself that all the conditions of the above bond/legal undertaking have been fulfilled.

OFFICE SEAL

Signature :
Designation :

Dated :

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1988.

[F.No. 605/17/88-DBK]
S.K. ROY, Dy. Secy.

सं. 117/88 – सीमा शुल्क

मा. का. नि. 407(अ) :– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 140/87-सीमाशुल्क (सा. का. नि. 331 (अ) तारीख 27 मार्च, 1987 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे माल को, जब उनका उत्पादों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात परिणामी उत्पाद कहा गया है) विनिर्माण और परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त माल की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए या रेबेट के लिए और आयात-निर्यात पास बुक स्कीम के अनुसार एक या अधिक निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए, परिणामी उत्पादों के साथ साथ आशोधक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में भारत के बाहर निर्यात के लिए भारत में आयात किया जाए उस पर उदग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उक्त उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस उदग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात :–

(क) आयातकर्ता को, उक्त स्कीम के अधीन, आयात-निर्यात पास बुक (जिसमें आयात अनुज्ञप्ति सम्मिलित है) दे दी गई है ;

(ख) उक्त आयातित माल, जहां तक उसके मूल्य, क्वालिटी, यदि कोई हो, वर्णन और तकनीकी विशेषताओं का संबंध है, उक्त आयात-निर्यात पास बुक में सम्मिलित आयात अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति से संलग्नकों में विनिर्दिष्ट है या उसके अंतर्गत आता है।

(ग) आयातकर्ता उक्त आयातित माल की निकासी के समय सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष उक्त आयात-निर्यात पास बुक प्रस्तुत करता है, और आयातकर्ता –

(i) सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष ऐसी छूट के लिए विहित रूप में दावा करता है ; और

(ii) सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उक्त स्कीम के अधीन अपेक्षित यथास्थिति बैंक प्रत्याभूति के साथ बंधपत्र या विधिक करार उसने निष्पादित कर दिया है ; और

(iii) ऐसे प्ररूप में और उतनी रकम जो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए यह घोषणा करता है कि वह उक्त ऐसे आयातित माल की बाबत, जिसके संबंध में सीमा शुल्क सहायक कलक्टर का यह समाधान नहीं हो जाता है कि उसका प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, उतने शुल्क के समतुल्य रकम का, मांग किए जाने पर, संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न होने की दशा में आयातित माल पर उदग्रहीत किया जाता :

(घ) उक्त आयातित माल, सीमा शुल्क से निकासी के पश्चात आयात किए जाने के लिए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण के कारखाने सीधे ले जाया जाता है और आयातकर्ता द्वारा विनिर्माता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों में सम्यक रूप से और तुरन्त दर्ज किया जाता है सिवाय तब जब आयातकर्ता को ऐसे अभिलेख रखने से छूट दी गई हो ;

परन्तु यह कि जहां आयातकर्ता विनिर्माता न होकर निर्यात व्यापार मंडल (हाउस) है, वहां आयात के पश्चात माल परिणामी उत्पादों के विनिर्माण के लिए ऐसे समर्थक विनिर्माता को अंतरित किया जाता है जिसका नाम सुसंगत आयात निर्यात पास बुक में दर्ज है या किसी वास्तविक उपयोगकर्ता को अंतरित किया जाता है, जहां माल का आयात प्रतिपूरण के लिए हो और आयात निर्यात बासबुक में कोई समर्थक विनिर्माता सूचीबद्ध न हो और ऐसे आयातकर्ता द्वारा ऐसे आयातित और समर्थक विनिर्माता को अंतरित माल के लिए पूरा लेखा रखा जाता है।

(ङ) उक्त आयात-निर्यात पास बुक में विनिर्दिष्ट परिणामी उत्पाद और आशोधक अतिरिक्त उत्पाद है, जहां तक उसके मूल्य, क्वालिटी (यदि कोई हो), विवरण और तकनीकी विशेषताओं का संबंध है, रूप में उक्त आयात निर्यात पास बुक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के निर्यात आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, भारत के बाहर निर्यात किए जाते हैं।

(च) उक्त आयातित माल का प्रयोग इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(छ) उक्त आयातित माल या उसके किसी भाग का विक्रय नहीं किया जाएगा या उसे उधार नहीं दिया जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति को अन्यथा अंतरित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा या उपयोग में लाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी या व्ययन नहीं किया जाएगा ;

(ज) उक्त माल का आयात केवल कांडला या कलकत्ता या मुम्बई या कोचीन या मद्रास या विशाखापत्तनम के सीमाशुल्क पत्तन से होकर या केवल कलकत्ता या मुम्बई या दिल्ली या मद्रास या बंगलूर के सीमाशुल्क विमान पत्तन से होकर या केवल नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित या बंगलूर स्थित बंगलूर छावनी रेल स्टेशन स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपों से होकर किया जाएगा तथा परिणामी उत्पादों का भारत के बाहर निर्यात केवल उक्त सीमा शुल्क पत्तनों, सीमाशुल्क विमान पत्तनों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपों से होकर किया जाएगा।

परन्तु परिणामी उत्पादों को नये मंगलूर के सीमा शुल्क पत्तन द्वारा भी निर्यात किया जा सकेगा यदि ऐसे उत्पादों का विनिर्माण नाइलान फाइबर, नाइलान सूत, नाइलान फैब्रिक, पालियस्टर फाइबर, पालियस्टर सूत, पालियस्टर फैब्रिक, स्टेनलेस स्टील, शीट, स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप चुम्बकीय टैप्स बहुमूल्य, धातु, बहुमूल्य धातु से ढकी हुई धातु और उनकी से भिन्न माल से किया जाता है ।

(झ) प्रतिपूर्ति के लिये माल को उस दशा में अनुज्ञात किया जायेगा जहां उक्त आयात-निर्यात पासबुक का धारक उक्त पासबुक के अधीन आयात करने के लिये योग्य होने के पूर्व परिधान समय सूची के अनुसार परिणामी उत्पाद का निर्यात इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि ऐसी प्रति पूर्ति उतनी ही अनुज्ञात है जितनी आयात निर्यात पास बुक के अधीन प्रथम आयात की तारीख से पहले निर्यात किये गये अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में सामग्रियों का प्रयोग किया गया हो,

परन्तु यह कि जहां ऐसे माल का आयात-निर्यात किये गये परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की प्रतिपूर्ति के लिये किया जाता है, वहां उक्त पास बुक का धारक ऐसा निर्यातकर्ता है, जो विनिर्माता भी है, वास्तविक प्रयोगी शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी माल के उत्पादन के लिये प्रतिपूर्ति सामग्रियों का उपयोग कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उक्त आयात-निर्यात पास बुक का धारक, जो विनिर्माता निर्यातकर्ता न हो, प्रतिपूर्ति सामग्री को ऐसे सम्बद्ध समर्थक विनिर्माता को, जिसका नाम उक्त आयात-निर्यात पास बुक में है, या

वास्तविक उपयोगकर्ता को आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988 मार्च, 1991 के अध्याय 20 के पैरा 281 के उपबन्धों के अनुसार आगे उत्पादन के लिये अंतरित कर सकेगा;

परन्तु यह भी कि प्रतिपूर्ति के रूप में आयात किए गये माल का किसी अन्य रीति से न तो विक्रय किया जायेगा और न व्ययन किया जायेगा और उक्त आयात-निर्यात पास बुक का धारक ऐसे माल के आयात और उनके वास्तविक उपयोग किये जाने का लेखा रखेगा।

(ख) आज्ञापक अतिरिक्त उत्पाद का आयात, आयात-निर्यात पास बुक में सम्मिलित किये गये आयात अनुज्ञप्ति के सी.आई.एफ. मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये—

(1) "सरणियन अभिकरण" का वही अर्थ है जो आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988 मार्च, 1991 में है;

(2) "माल से ऐसा माल अभिप्रेत है जो परिणामी उत्पादों और उनके पैकिंगों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटकों मध्यवर्ती उत्पादों या उपभोग योग्य वस्तु का हो या परिणामी उत्पादों के साथ निर्यात किये जाने वाले आज्ञापक अतिरिक्त उत्पाद हो;

(3) "आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988-मार्च, 1991" से समय-समय पर यथा संशोधित वह आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1988-मार्च 1991 अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1-आई. टी.सी. (पी. एन.)/88-91 तारीख 30 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(4) भारत में आयातित के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

(क) खुला समुद्र विक्रय आधार पर सरणियन अभिकरण से अभिप्राप्त किया गया माल,

(ख) सरणियन अभिकरण या किसी अन्य अभिकरण से, जिसे मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने अभिहित किया हो और आयात-निर्यात पासबुक धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में आयात के लिये अनुज्ञात किया हो, अभिप्राप्त माल, जहां माल सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबन्ध-9 के अनुसार उक्त अभिकरण द्वारा आयात किया जाता है और भाण्डागार में रखा जाता है।

(5) "आयात-निर्यात पास बुक स्कीम" से आयात निर्यात नीति अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के अध्याय 20 में अंतर्विष्ट आयात-निर्यात पास बुक स्कीम अभिप्रेत है;

(6) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन बनाये गये आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(7) "आज्ञापक अतिरिक्त उत्पाद" से परिणामी उत्पादों के ऐसे भाग अभिप्रेत हैं जो परिणामी उत्पादकों के अविधिमान्य हो जाने या पुराने हो गये भागों के प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिये सुसंगत निर्यात आदेश के अधीन परिणामी उत्पादकों के लिये अतिरिक्त उत्पाद के रूप में आवश्यक रूप से प्रदाय किये जाते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 605/17/87-डी.बी.के.]

कामेश्वरी सुब्रमनियन, अवर सचिव

No. 117|88-CUSTOMS

G.S.R. 407 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 140|87-Customs [G.S.R. 331 (E)] dated the 27th March, 1987, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, here exempts goods when imported into India for the purpose of manufacture of products (hereinafter referred to as the resultant products) or replenishment of goods used in the manufacture of the resultant products, or both, and for export out of India as mandatory spares alongwith the resultant products, for execution of one or more export orders, in accordance with the Import-Export Pass Book Scheme, from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Traffic Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Traffic Act, subject to the following conditions, namely :—

(a) that the importer has been issued necessary Import-Export Pass Book (incoporating Import Licence) under the said Scheme;

(b) that the said imported goods are specified in and are covered by the Import Licence or the enclosures to the Licence, incorporated in the said Import-Export Pass Book in respect of their value, quantity if any, description and technical characteristics;

(c) that the importer at the time of the clearance of the said imported goods produces before the Assistant Collector of Customs, the said Import-Export Pass Book, and the importer—

(i) makes a claim, in writing, to the Collector of Customs for such exemption: and

(ii) produces evidence to the Assistant Collector of Customs that the Bond with Bank Guarantee or, as the case may be, legal agreement has been executed by him as required under the said Scheme: and

(iii) make a declaration in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binding himself to pay on demand in respect of such of the said imported goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the duty which would have been levied on such imported goods but for the exemption contained herein;

(d) that the said imported goods, after clearance by Customs, are taken direct to the factory of manufacture of the resultant products to be exported and are duly and immediately entered into the records required to be maintained by the exporter as the manu-

facturer under the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder, unless he is exempted thereunder from the maintenance of such records;

Provided that where the importer is an Export House or Trading House, not being a manufacturer, the goods after import are transferred to supporting manufacturer, whose name appears in the relevant Import-Export Pass Book, for the manufacture of the resultant products, or to an actual user when the import of goods is for replenishment and there is no supporting manufacturer listed in the Import-Export Pass Book, and that complete accounts are maintained by such importer for the goods imported and so transferred ;

(e) that the resultant products and mandatory spares, as specified in the said Import-Export Pass Book in respect of value, quantity (if any), description and technical characteristics are exported out of India within the period specified in the said Import-Export Pass Book or within such extended period as the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports allow.

(f) that the said imported goods shall be used for the purpose specified in this notification;

(g) that the said imported goods or any portion thereof shall not be sold or loaned or otherwise transferred to any other person or utilised or permitted to be utilised or disposed of any other purpose ;

(h) that the said goods shall be imported only through the Customs port of Kandla or Calcutta or Bombay or Cochin or Madras or Visakhapatnam or only through the Customs airport at Calcutta or Bombay or Delhi or Madras or Bangalore or only through the inland container depot at Pragati Maidan at New Delhi or Bangalore Cantonment Railway Station at Bangalore and the resultant products shall be exported out of India only through any of the said Customs ports, Customs airport or inland container depots ;

Provided that the resultant products may be exported also through the Customs Port of New Mangalore if such products are manufactured from goods other than nylon fibre, nylon yarn, nylon fabrics, polyester fibre, polyester yarn, polyester fabrics, stainless steel sheets, stainless steel strips, magnetic tapes, precious metals, metals clad wtih precious metals and articles thereof ;

(i) that the import of goods for replenishment shall be allowed where the said Import-Export Pass Book holder has to export the resultant product to meet a delivery schedule before he is able to import under the said Import Export Pass Book, subject to the condition that such replenishment shall be permitted only to the extent of materials used in the manufacture of the resultant products exported prior to the date of first importation under the Import-Export Pass Book;

Provided that where such goods are imported for replenishment of materials used in the manufacture of the resultant products exported, the holder of Import-Export Pass Book, being an exporter who is also a manufacturer, may utilise the replenished materials for the production of any goods subject to actual user conditions.

Provided further that the holder of the said Import-Export Pass Book, not being a manufacturer-exporter, may transfer the replenishment materials to the supporting manufacturer concerned, whose name appears in the said Import-Export Pass Book, or to an actual user, for further production in accordance with the provisions of paragraph 281 in Chapter XX of the Import-Export Policy April 1988-March, 1991.

Provided also that goods imported for replenishment shall not be sold or disposed of in any other manner and the said Import-Export Pass Book holder shall maintain an account of imports of such goods and their actual utilisation ;

In the import of mandatory spares shall not exceed five per cent of the C. I. F. Value of the Import Licence incorporate in the said Import Pass Book.

Explanation — For the purposes of this notification,—

(i) "canalising agency" shall have the same meaning as in the Import & Export Policy April 1988-March 1991;

(ii) "goods" means which are in the nature of raw materials, components, intermediate products or consumables required for the manufacture of the resultant products and their packings, or mandatory spares to be exported alongwith the resultant products.

(iii) Import-Export Policy April, 1988-March 1991 means the Import Export Policy April 1988-March 1991 published vide Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) /88-91, dated the 30th March, 1988, as amended from time to time ;

(iv) imported into India includes—

(a) goods obtained from a canalising agency on high seas sale basis;

(b) goods obtained from a canalising agency or any other agency designated by the Chief Controller of Imports and Exports and allowed importation in bulk for servicing the requirement of the Import-Export Pass Book holders, where the goods are imported by the said agency and warehoused in accordance with the provisions of Chapter IX of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) ;

(v) "Import-Export Pass Book Scheme" mean the Import Export Pass Book Scheme contained in Chapter XX of the Import & Export Policy, April 1988-March 1991.

(vi) "Licensing Authority" means an authority competent to grant Import Licence under the Imports (Control) Order, 1955 made under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) ;

(vii) "madatory spares" means parts of the resultant products which are to be compulsorily supplied as spares to the resultant products under the relevant export order for the purpose of substitution of invalid or worn out parts of the resultant products.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1988.

[F.No. 605|17|87-DBK]

KAMESWARI SUBRAMANIAN, Under Secy.

सं. 118/88-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 408(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1988 के खंड 77 के, जो अंतरिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के प्रभाव पर विधि का बल रखता है, उप खण्ड (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 87/88-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(1) क्रम सं. 258 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"259 सं. 116 सीमाशुल्क, तारीख 30 मार्च, 1988

260 सं. 117 सीमाशुल्क, तारीख 30 मार्च, 1988"

(2) क्रम सं 213 और 214 के सामने वाली विद्यमान प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 605/17/88-डी. बी.क.]

एस के. राय, उप सचिव

No. 118|88-Customs

G.S.R. 408(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of Clause 77 of the Finance Bill, 1988, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 87|88-Customs dated the 1st March, 1988, namely :—

In the Schedule to the said notification,

(i) after Serial No. 258 and the entry relating thereto, the following serial nos. and entries shall be inserted, namely :—

"259 No. 116 Customs, dated the 30th March, 1988; 260 No. 117 Customs, dated the 30th March, 1988."

(ii) the existing entries against Serial nos., 213 and 214 shall be deleted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1988.

[F. No. 605|17|88-DBK]

S. K. ROY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988